UPMP010006002026

Presented on : 09-02-2026
Registered on : 12-02-2026
Decided on : 10-08-2026
Duration : 0 years, 6 months, 1 days

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मैनपुरी
(Presided Over by Rupesh Ranjan)
Criminal Revision/24/2026

फौजदारी निगरानी संख्या– 24/2026

राहुल सिंह उर्फ सूर्यकान्त पुत्र अनूप सिंह निवासी ग्राम हिमायुंपुर थाना भोगाँव जिला मैनपुरी।

.....निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1. अरविन्द पुत्र स्व० हाकिम सिंह
2. मुनेन्द्र पुत्र अरविन्द सिंह
3. सोमेन्द्र पुत्र अरविन्द सिंह निवासीगण ग्राम हिमांयुपुर थाना भोगाँव जिला मैनपुरी।
4. उ०प्र० राज्य

..... विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी निगरानीकर्ता/प्रार्थी द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं.०– 1, मैनपुरी द्वारा परिवाद संख्या 935/2025, राहुल सिंह उर्फ सूर्यकान्त आदि बनाम अरविन्द सिंह थाना भोगाँव जिला मैनपुरी में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 02.02.2026 के विरूद्ध संस्थित की गयी है।

2– निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, " अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरुद्ध है। अवर न्यायालय द्वारा धारा– 245(2) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत अभियुक्तगण को इस आधार पर उन्मोचित कर दिया कि दिनांक 13.12.2025 को धारा– 244 सी.आर.पी.सी. की साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया है। इस कारण धारा– 245(2) सी.आर.पी.सी. प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्मोचित किया गया है, जो पूर्णत: आदेश पत्र के विपरीत अंकित किया गया है। आदेश पत्र दिनांक 13.12.2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा– 244 सी.आर.पी.सी. की साक्ष्य के लिए अंतिम अवसर

दिया गया है, न कि अंतिम अवसर समाप्त किया गया है, जो पूर्णत: असत्य तथ्यों पर आधारित है। दिनांक 20.01.2026 को अभियुक्त धारा– 245(2) सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें उल्लिखित किया गया कि साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया, जिस कारण उन्हें उन्मोचित किया गया, जिसकी प्रति भी प्रार्थी/वादी को उपलब्ध नहीं करायी गयी जिससे प्रार्थी आपत्ति भी प्रस्तुत नहीं कर सका तथा उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला। अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 02.02.2026 को साक्ष्य बिना समाप्त किये यह अंकित करके कि धारा– 244 सी.आर.पी.सी. का साक्ष्य समाप्त कर दिया गया है और बिना धारा– 245(2) सी.आर.पी.सी. की प्रति प्राप्त करवाये अभियुक्तगण को गलत तथ्य अंकित किये डिस्चार्ज कर अवैधानिक आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। धारा– 245(2) सी.आर.पी.सी. के अन्तर्गत विद्वान मजिस्ट्रेट तभी अभियुक्तगण को डिस्चार्ज कर सकता है, जब मजिस्ट्रेट Charge Groundless पाये अन्यथा की दशा में नहीं, केवल शिकायतकर्ता के गैर–हाजिर होने से Complaint में अभियुक्तगण को धारा– 245(2) में डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है न तो धारा– 244 सी.आर.पी.सी. की साक्ष्य अंकित की गयी और न ही अवसर समाप्त किया गया और इसी आधार पर धारा– 245(2) सी.आर.पी.सी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार कर डिस्चार्ज किया गया, जो कानूनी दृष्टि से पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश तथ्य एवं विधि के विरुद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। उपरोक्त तथ्यों एवं विधि विरुद्ध होने के कारण उपरोक्त प्रश्नगत आदेश निरस्त कर (रिवीजन) निगरानी स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। "

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये।

4– सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5– पत्रावली के अवलोकन से यह दृष्टिगत होता है कि दिनांक 02–03–2023 को राहुल सिंह की ओर से एक परिवाद संख्या 935/2025 संस्थित की गयी जिसमें दिनांक 20–10–2023 को तलबी आदेश निर्गत किए गए। दिनांक 20–08–2025 को परिवादी पी.डब्लू–1 की गवाही हेतु उसे अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 14–11–2025 को पुनः परिवादी को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया। तत्पश्चात नियत तिथि 13–12–2025 को आदेश पत्र में यह आदेश अंकन किया गया है कि''परिवादी अनुपस्थित है। अंतिम अवसर वास्ते 244 दं.प्र.सं.,अभियुक्त उपस्थित है।'' अगली नियत तिथि 20–01–2026 को अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 245(2)दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया गया,जिस पर परिवादी को आपत्ति हेतु अंतिम अवसर दिया गया,जबकि परिवादी उक्त नियत तिथि को उपस्थित नही था। प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 245(2)दण्ड प्रक्रिया

संहिता में यह कथन किया गया कि परिवादी काफी समय से 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयान हेतु उपस्थित नही हो रहा है और न ही कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय द्वारा अन्तर्गत धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता का अवसर पूर्व में ही समाप्त किया जा चुका है।''आवेदन में अंकित उक्त तिथि को स्वीकार करते हुए आदेश दिनांकित 02–02–2026 में प्रश्नगत आदेश में न्यायालय द्वारा यह अंकन किया गया है कि''न्यायालय द्वारा दिनांक 13–12–2025 को परिवादी का धारा 244 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत साक्ष्य प्रदत्त करने का अवसर समाप्त किया गया।''आदेश पत्रक के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 13–12–2025 को परिवादी को साक्ष्य हेतु अंतिम अवसर दिया गया था,न कि उसके साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया था।

धारा 245 दं.प्र.सं.अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जायेगा

(1)यदि धारा 244 में निर्दिष्ट सब साक्ष्य लेने पर मजिस्ट्रेट का,उक्त कारणों से जो लेखबद्ध किये जायेंगे,यह विचार है कि अभियुक्त के विरूद्ध ऐसा कोई मामला सिद्ध नहीं हुआ है,जो अखण्डित रहने पर उसकी दोषसिद्धि के लिये समुचित आधार हो तो मजिस्ट्रेट उनको उन्मोचित कर देगा।

(2)इस धारा की कोई बात मजिस्ट्रेट को मामले के किसी पूर्वतन प्रक्रम में अभियुक्त को उस दशा में उन्मोचित करने से निवारित करने वाली न समझी जायेगी,जिसमे ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे कारणो से,जो लेखबद्ध किये जायेंगे,यह विचार करता है कि आरोप निराधार है।

6– उपरोक्त प्रॉवधान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि धारा 245(2)दण्ड प्रकिया संहिता के तहत अभियुक्त को उन्मोचित करने के पूर्व उन कारणो को लेखबद्ध करना होगा,जिसके तहत लगाये गये आरोप निराधार प्रतीत होते हैं। प्रश्नगत आदेश में परिवादी का साक्ष्य समाप्त करने के लिये जो आधार लिया गया है आदेश पत्रक के अवलोकन से वह आधार असत्य दृष्टिगत होता है। धारा 245 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत पारित प्रश्नगत आदेश में आरोपों के निराधार होने व उसके कारणों के संबंध में भी कोई कथन नही किया गया है।

7– उपरोक्त विश्लेषण के आलोक में निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य है एवम आक्षेपित आदेश दिनांकित 02–02–2026 निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

यह दाण्डिक निगरानी स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश दिनाँक 02–02–2026 निरस्त किया जाता है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नं.1 को यह निर्देशित

किया जाता है कि वह निर्णय में दिये गये प्रेक्षण के आधार पर परिवाद संख्या 935/2026 का निस्तारण सुनिश्चित करें। तलबशुदा पत्रावली सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित हो।

पक्षकार विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष दिनांक 20–08–2026 को पेश हों।

दिनाँक: 10–08–2026 **(रूपेश रंजन)**

सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी।

निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर उदघोषित किया गया।

दिनाँक: 10–08–2026 **(रूपेश रंजन)**

सत्र न्यायाधीश,

मैनपुरी

RUPESH RANJAN

Digitally signed by RUPESH RANJAN
Location: Mainpuri
Date: 2026.08.10 18:56:54 +0530